



F- 07-08

F- 07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU – 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 718 का संशोधन सहित नवीकरण

Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 718

विषय/ Sub: इंटरकॉम प्रणाली जिसमें: ए) जंक्शन बॉक्स, पार्ट सं.: सीएच-आईसी-8, बी) कंट्रोल बॉक्स, पार्ट सं.: सीएच-आईसी-9 और सी) फिल्टर बॉक्स, पार्ट सं.: सीएच-आईसी-10
Intercom System Comprising: a) Junction Box, Part No.: CH-IC-8 b) Control Box, Part No.: CH-IC-9, c) Filter Box, Part No.: CH-IC-10

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स सदरन इलेक्ट्रॉनिक्स (बेंगलोर) प्राइवेट लिमिटेड, सं.: 24/7, कुमार कॉट लेआउट, हाई ग्राउंड्स, बेंगलोर – 560 001, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित “इंटरकॉम प्रणाली जिसमें ए) जंक्शन बॉक्स पार्ट सं. सीएच-आईसी-8, बी) कंट्रोल बॉक्स पार्ट सं. सीएच-आईसी-9 और सी) फिल्टर बॉक्स पार्ट सं.: सीएच-आईसी-10”, को संदर्भ सं.: एरो/आरडी-132/106/3/718, दिनांक 22 दिसम्बर 1993, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.: 718 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-718-5आर, दिनांक 12 जुलाई 2013 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2018 तक थी।

This is to state that the “Intercom System Comprising: (a) Junction Box Part No.: CH-IC-8, (b) Control Box Part No.: CH-IC-9 & c) Filter Box Part No.: CH-IC-10” designed, developed and manufactured by M/s Southern Electronics (Bangalore) Private Limited, No.: 24/7, Kumara Cot Layout, High Grounds, Bangalore – 560 001 was issued with Type Approval No.: 718 vide Reference No.: AERO/RD -132 / 106 / 3/718, dated: 22nd December 1993. It was subsequently renewed vide reference No.: CEMILAC/5070/TA – 718 – 5R, dated: 12th July 2013 with its validity up to 30th June 2018.

2. आरसीएमए (हेलिकॉप्टर) के पत्र सं: आरसीएमए (हेलिकॉप्टर)/1468, दिनांक 07 अगस्त 2018 के द्वारा नवीकरण एवं संशोधन के लिए अनुरोध पर, निम्नलिखित संशोधन वर्ग अनुमोदन संख्याओं 229, 1369, 718, 1149, 763, 1708, 1709 एवं 1750 के विषय तथा इसके परिशिष्ट 'ए' में लागू होता है:

Based on request for renewal cum amendment from RCMA (Helicopter) vide their letter Ref. No.: RCMA (H/C) / 1468, dated: 07th December 2018, The following Amendment is effected in the subject Type Approval Nos. 229, 1369, 718, 1149, 763, 1708, 1709 & 1750 and its Appendix 'A':

<i>Wherever/for</i>	<i>Read as</i>
<i>M/s Southern Electronics (Bangalore) Pvt. Ltd., No.: 24/7 Kumaracot Layout, High Grounds Bangalore – 560 001</i>	<i>M/s Southern Electronics (Bangalore) Pvt. Ltd., No.: 16/A, 1st Phase, PIA, Peenya, Bangalore, Karnataka - 560058</i>

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2019 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसम्बर 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (हेलिकॉप्टर), डीआरडीओ, सेमिलैक, द्वारा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हेलिकॉप्टर प्रभाग, बेंगलूरु – 560 017, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st January 2019 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st December 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Helicopter), DRDO, CEMILAC, C/o M/s Hindustan Aeronautics Limited, Helicopter Division, Bengaluru – 560 017, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

4. संदर्भ सं.: एरो/आरडी-132/106/3/718, दिनांक 22 दिसम्बर 1993 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पांच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: Aero / RD-132 / 106 / 3/718, dated: 22nd December 1993 is amended as stated herewith.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु – 560 037, की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]”.

5. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्रमें अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।


All other conditions stipulated in the initial type approval Certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं. /No.: सेमिलैक /CEMILAC/ 5070 /टी.ए/TA-718/6R

दिनांक /Date: 02 January 2019

फैक्स सं./Fax No: 080 – 2523 0856

02 Jan 2019


पी . जयपाल / P. JAYAPAL
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)